

कृषि निदेशालय, बिहार

आ० संख्या-6/स्था०प्र०/ए०सी०पी०-06/16

/क०, पटना, दिनांक

, 2017

आदेश

वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-3 एम-2-5 वे०पु० 28/00-4685 वि० (2) दिनांक 25.06.2003 एवं सकल्प संख्या-3ए०-2-वि०पु०-18/2009-7566 दिनांक 14.07.2010 के आलोक में विभागीय स्क्रीनिंग कमिटी की दिनांक 11.01.2017 को सम्पन्न बैठक में की गई अनुशंसा के अनुरूप बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली, 2003 एवं रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2010 के प्रावधानों के तहत बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि-1 (शष्य) प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष के कर्मियों/पदाधिकारियों को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना प्रभावी तिथि 09.08.99 अथवा उसके पश्चात 12/24 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने की तिथि से प्रथम/द्वितीय तथा रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के अधीन 10, 20 और 30 वर्षों की सेवा पूरी करने पर प्रथम/द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय उन्नयन दिया जाना है। जिसकी प्रभावी तिथि 09.08.1999/01.01.2009 है। प्रथम द्वितीय एवं तृतीय वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति उनके नाम के सामने कॉलम 3 एवं 4 में अंकित तिथि से नियमानुसार स्वीकृति दी जाती है:-

क्र० सं०	कर्म का नाम/पदनाम/कार्यालय का नाम	प्रथम सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की तिथि	द्वितीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री तुलसी प्रसाद सिंह, से०नि०, संयुक्त निदेशक, रसायन, मिट्टी जाँच प्रयोगशाला, मधुबनी	-	01.01.2009 9300-34800/- ग्रेड पे० 5400/-	
2	श्री नरेन्द्र प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त, उप परियोजना निदेशक (आत्मा) अररिया	-	01.01.2009 9300-34800/- ग्रेड पे० 5400/-	

उपरोक्त निर्णय वित्त विभाग के पत्रांक-1947 दिनांक 04.03.11 द्वारा उक्त पत्रांक- के कांडिका 29 एवं 30 को विलोपित करने के आलोक में लिया गया है।

उपर्युक्त कर्मों के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर संबंधित कर्मों को प्रदत्त ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जाएगी।

ह०/-

(हिमांशु कुमार राय)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-

क०, पटना, दिनांक-

,2017

प्रतिलिपि :- संबंधित संयुक्त निदेशक (शष्य)/संबंधित कोषांगार/संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी/संबंधित अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/संबंधित कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-

क०, पटना, दिनांक-

,2017

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक - 49

कृ०, पटना, दिनांक- 18-1, 2017

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग को कृषि विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Handwritten signature
18.1.17

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

[Faint, illegible text from the reverse side of the page, appearing as bleed-through.]